

प्रपत्र १
योजनेची संक्षिप्त माहिती

| योजनेचे नाव - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात २०१५-१६ | | | माहे मार्च २०१६ अखेर | | रू. लाख | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| अ.क्र. | बाब | अर्थसहाय्य दर | परीमाण | सुधारित लक्षांक | | साध्य | | |
| | | | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | |
| १ | २ | ३ | ४ | ७ | ८ | ९ | १० | |
| १ | सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारीत पीक प्रात्यक्षिके | | | | | | | |
| | अ) श्री पध्दत | रु.५०००/- प्रति हेक्टर | हे. | १४१५० | ७०७.५० | १४१९६ | ६७८.२३ | |
| | ब) यांत्रिकी पध्दतीने पुर्नलागवड | रु.५०००/- प्रति हेक्टर | हे. | १६०० | ८०.०० | १६०० | ८०.०० | |
| | क) संकरीत भात | रु.६८००/- प्रति हेक्टर | हे. | १२०० | ८१.६० | १२०० | ७७.१६ | |
| | ड) पीक पध्दतीवर आधारीत पीक प्रात्यक्षिके भात + तुर नंतर हरभरा | रु.१११२५/- प्रति हेक्टर | हे. | २६०० | २८९.२५ | २६१२ | २७७.०२ | |
| | इ) पीक पध्दतीवर आधारीत पीक प्रात्यक्षिके भात + तुर नंतर लाखोळी | रु.८२००/- प्रति हेक्टर | हे. | १००० | ८२.०० | १००० | ७८.३८ | |
| | एकुण १ अ) ते १ इ) | | | | १२४०.३५ | २०६०८ | ११९०.८० | |
| २ | प्रमाणित विद्याणे वितरण | | | | | | | |
| | अ) संकरीत वाण | रु. ५०००/- प्रति क्विंटल | क्विं. | ५० | २.५० | २८ | १.४४ | |
| | ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण | रु. १०००/- प्रति क्विंटल | क्विं. | ३२०० | ३२.०० | ३२७९ | ३२.८० | |
| | एकुण २ अ) ते २ ब) | | | | ३४.५० | ३३०७ | ३४.२४ | |
| ३ | मृद व पीक संरक्षण व्यवस्थापन | | | | | | | |
| | अ) सुक्ष्ममुलद्रव्ये | रु.५००/- प्रति हेक्टर | हे. | ३३००० | १६५.०० | ४०००६ | १९५.६९ | |
| | ब) पीक संरक्षण औषधे | रु.५००/- प्रति हेक्टर | हे. | ४३००० | २१५.०० | ४८१२० | २३९.७२ | |
| | क) तणनाशक | रु.५००/- प्रति हेक्टर | हे. | ६००० | ३०.०० | ६१०० | २४.३२ | |
| | एकुण ३ अ) ते ३ क) | | | | ४१०.०० | ४५९.७३ | | |
| ४ | अ) सुधारीत कृषि औजार (as per NFSM/SMAM guidelines) | | | | | | | |
| | i) मनुष्यचलित स्प्रेपंप | रु.६०० प्रति | संख्या | ० | ०.०० | ० | ०.०० | |
| | ii) पावर स्प्रेपंप- | रु.३००० प्रति | संख्या | ० | ०.०० | २ | ०.०४ | |
| | iv) पावर टौलर (8 BHP & above) | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.७५००० प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | ६ | ४.५० | ९ | ७.२५ | |
| | v) स्वयंचलित भात लावणी यंत्र | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.७५००० प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | १ | ०.७५ | ० | ०.०० | |
| | vi) रीपर | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.६३००० प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | ३.१५ | १० | ५.७९ | |
| | vii) रीपर कम बाइंडर | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.१.२५ लाख प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | २ | २.५० | १ | १.२५ | |
| | viii) रोटाव्हेटर | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.३५००० प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | १८ | ६.३० | २५ | ८.४० | |
| | ix) भात मळणी यंत्र | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.४०००० प्रति यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | ५ | २.०० | ३ | १.२० | |
| | x) ड्रम सीडर | रु. १५०० प्रति | संख्या | २० | ०.३० | १० | ०.१५ | |
| | | एकुण ४ अ i) ते ४ अ x) | | | | १९.५० | ६० | २४.०८ |
| | ब) पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी सिंचन साधने - पंपसंच | रु.१००००/- प्रति | संख्या | ० | ०.०० | २ | ०.१८ | |
| | क) भाडे तत्वावर औजार घेण्यासाठी अर्थसहाय्य | | | | | | | |
| | i) नांगरणी / चिखलणी (प्रत्यक्ष खर्च रु. ३००० प्रति हेक्टर) | रु. १५०० प्रति हेक्टर | हे. | ४० | ०.६० | ६० | ०.९० | |
| ii) लावणी (प्रत्यक्ष खर्च रु. ३००० प्रति हेक्टर) | रु. १५०० प्रति हेक्टर | हे. | २० | ०.३० | ४० | ०.६० | | |
| iii) यंत्राद्वारे पिक कापणी/काढणी (प्रत्यक्ष खर्च रु. ३००० प्रति हेक्टर) | रु. १५०० प्रति हेक्टर | हे. | ० | ०.०० | ३० | ०.४५ | | |
| iv) मळणी (प्रत्यक्ष खर्च रु. ३००० प्रति हेक्टर) | रु. १५०० प्रति हेक्टर | हे. | ० | ०.०० | २० | ०.३० | | |
| | एकुण ४ क i) ते ४ क iv) | | | | ०.९० | २.२५ | | |
| | एकुण ४ अ) ते ४ क) | | | | २०.४० | ६२ | २६.५१ | |
| ५ | शेतकरी प्रशिक्षण | रु.१४००० / प्रशिक्षण | संख्या | १६७ | २३.३८ | १७७ | २३.३८ | |
| ६ | स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी | | | | | | | |
| | अ) मशिनच्या सहाय्याने २० X २० X ३ मी. आकाराचे शेततळ्यासाठी अर्थसहाय्य (दि. १५/१०/१३ च्या जलसंधारण विभाग शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष खर्च रु. ४६१८७ प्रमाणे) | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. २३०९४ यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | ० | ०.०० | ४ | ०.४६ | |
| | ब) मशिनच्या सहाय्याने ३० X ३० X ३ मी. आकाराचे शेततळ्यासाठी अर्थसहाय्य (दि. १५/१०/१३ च्या जलसंधारण विभाग शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष खर्च रु. ११५७८४ प्रमाणे) | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. ५७८९२ यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | २ | १.१६ | ४ | २.३२ | |
| | क) युरिया ब्रिकेट मशिनसाठी अर्थसहाय्य (प्रत्यक्ष किंमत रु. १.८० लाख) | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. ९०००० यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | २ | १.८० | ३ | २.४० | |
| | ड) २५० मेट्रन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी अर्थसहाय्य (राज्य PWD D.S.R. 2013-14 नुसार प्रत्यक्ष खर्च रु.२५.०० लाख) | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. १२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल ते | संख्या | ४ | ५०.०० | ५ | २५.०० | |
| | इ) पीक स्पर्धा (राज्य शासनाच्या पीक स्पर्धाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार रु. १००००, रु. ७००० व रु. ५००० अनुक्रमे १,२,३ क्रमांक उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी) | रु. २२०००/- प्रति जिल्हा | संख्या | ८ | १.७६ | ६ | १.३२ | |
| | एकुण ६ अ) ते ६ इ) | | | | ५४.७२ | २२ | ३१.५० | |
| ७ | दुर्गम भागात अशासकिय संस्थामार्फत पीक प्रात्यक्षिके राबविणे | रु. ५००० प्रति हेक्टर+ admin charges (10%) | हे. | ११३० | ६२.१५ | ११३० | ६०.४३ | |
| | एकुण एकंदर | | | | १८४५.५० | १८२६.५८ | | |

प्रपत्र -२

योजनेच्या आर्थिक प्रगतीचा अहवाल

योजनेचे नाव - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात सन २०१५-१६

माहे मार्च, २०१६ अखेर

(रु.लाख)

| अ.क्र | जिल्हा | मंजूर निधी | | | वितरीत निधी | | | खर्च | | | मंजूर निधीशी टक्केवारी | वितरीत निधीशी टक्केवारी |
|-------|-----------------|------------|--------|---------|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------------|-------------------------|
| | | केंद्र | राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण | | |
| १ | नाशिक | ६४.५३ | ४३.०२ | १०७.५५ | ६४.५३ | ४३.०२ | १०७.५५ | ५५.९८ | ३७.३२ | ९३.३० | ८६.७५ | ८६.७५ |
| | नाशिक विभाग | ६४.५३ | ४३.०२ | १०७.५५ | ६४.५३ | ४३.०२ | १०७.५५ | ५५.९८ | ३७.३२ | ९३.३० | ८६.७५ | ८६.७५ |
| २ | पुणे | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | १००.०० | १००.०० |
| | पुणे विभाग | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | ७२.९६ | ४८.६४ | १२१.६० | १००.०० | १००.०० |
| ३ | सातारा | ५५.९६ | ३७.३१ | ९३.२७ | ५५.९६ | ३७.३१ | ९३.२७ | ५५.४७ | ३६.९८ | ९२.४५ | ९९.१२ | ९९.१२ |
| | कोल्हापुर विभाग | ५५.९६ | ३७.३१ | ९३.२७ | ५५.९६ | ३७.३१ | ९३.२७ | ५५.४७ | ३६.९८ | ९२.४५ | ९९.१२ | ९९.१२ |
| ४ | नागपूर | ९१.४२ | ६०.९५ | १५२.३७ | ९१.४२ | ६०.९५ | १५२.३७ | ९०.०७ | ६०.०५ | १५०.१२ | ९८.५२ | ९८.५२ |
| ५ | भंडारा | २३०.४६ | १५३.६४ | ३८४.१० | २३०.४६ | १५३.६४ | ३८४.१० | २२९.८७ | १५३.२५ | ३८३.१२ | ९९.७४ | ९९.७४ |
| ६ | गोंदिया | २१५.५६ | १४३.७० | ३५९.२६ | २१५.५६ | १४३.७० | ३५९.२६ | २१५.५६ | १४३.७० | ३५९.२६ | १००.०० | १००.०० |
| ७ | चंद्रपुर | १८१.३७ | १२०.९१ | ३०२.२८ | १८१.३७ | १२०.९१ | ३०२.२८ | १८१.३७ | १२०.९१ | ३०२.२८ | १००.०० | १००.०० |
| ८ | गडचिरोली | १९४.८८ | १२९.९२ | ३२४.८० | १९४.८९ | १२९.९२ | ३२४.८१ | १९४.६७ | १२९.७८ | ३२४.४५ | ९९.८९ | ९९.८९ |
| | नागपूर विभाग | ९१३.६९ | ६०९.१३ | १५२२.८२ | ९१३.६९ | ६०९.१३ | १५२२.८२ | ९११.५४ | ६०७.६९ | १५१९.२३ | ९९.७६ | ९९.७६ |
| | एकुण विभाग | ११०७.१४ | ७३८.१० | १८४५.२४ | ११०७.१४ | ७३८.१० | १८४५.२४ | १०९५.९५ | ७३०.६३ | १८२६.५८ | ९८.९९ | ९८.९९ |
| | आयुक्तालय स्तर | १.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकुण राज्य | ११०७.१४ | ७३८.१० | १८४५.२४ | ११०७.१४ | ७३८.१० | १८४५.२४ | १०९५.९५ | ७३०.६३ | १८२६.५८ | ९८.९९ | ९८.९९ |